

260

384

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म०प्र०

ग्वालियर म०प्र०



C.F. Rs-20/-

सुरेन्द्र कुमार पयासी तनय् श्री अयोध्या प्रसाद पयासी आयु
46 वर्ष निवासी ग्राम खडौरा तहसील बिरसिहपुर जिला सतना
म०प्र०.....निगराकार

बनाम

- 1- प्रमोद कुमार पयासी
- 2- अवधेश पयासी
- 3- रामनरेश पयासी
- 4- महेश पयासी चारो के पिता देवीदीन पयासी
- 5- मुस० दुर्घटिया बेवा तीरथ प्रसाद
- 6- गिरधारी लाल तनय् तीरथ प्रसाद सभी निवासी ग्राम
खडौरा तहसील बिरसिहपुर जिला सतना
- 7- रामप्रताप तनय् रामभजन
- 8- बेवा चंदी पत्नी शिवमंगल
- 9- रामजियावन
- 10- रनछेर दोनो के पिता शिवमंगल
- 11- संजू
- 12- लाला दोनो के पिता बुद्ध सेन सभी निवासी ग्राम खडौरा
तहसील बिरसिहपुर जिला सतनागैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर
कलेक्टर सतना जिला सतना के
प्र०क०-88/निगरानी/11-12 मे पारित
आदेश दिनांक 30/03/13

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी नं०-
33/1, 42/1/ख, 43/ख/1क, 44, 45/1, 47ख, 49,
33/2, 42ब/2, 43ब/2, 52 मौजा खडौरी तहसील बिरसिहपुर
जिला सतना एवं आराजी नं०-10, 141, 142, 163, 177,
41/1, 18/1, 157/ख, 158, 178, 180, मौजा खडौरी
कला तहसील बिरसिहपुर एवं आराजी नं०-107/3, 108/3
109, 125/3, 132/3, 107/2, 108/2, 125/2, 132/2
का निगराकार मालिक स्वामी है गैरनिगराकार क०1 ता 6 या

---2

260

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.2043-113 जिला-रतना

सुरेश कुमार पत्राली विरुद्ध उमोद कुमार पत्राली

| (1) | (2) |
|---------|---|
| 17-1-19 | <p>1. आवेदक की ओर से श्री अमर बी. अदव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला रतना के प्रकरण क्रमांक 88/11/12 में पारित आदेश दिनांक 3.12.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> |